उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या 35 सन् 2009) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके, राज्यपाल उपर्युक्त अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

भाग–एक
प्रारम्भिक

(1) संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ – (1) यह नियमावली ''उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011'' कही जायेगी।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।
(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी और इस शर्त के अधीन प्रवृत्त रहेगी कि केन्द्र सरकार द्वारा पर्याप्त निधि अनवरत रूप से उपलब्ध करायी जाती रहेगी।

(2) परिभाषाएं – (1) जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में–
(क) **''अधिनियम''** का तात्पर्य ''निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009'' से है;
(ख) **''आंगनबाड़ी''** का तात्पर्य भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अधीन स्थापित आंगनबाड़ी केन्द्र से है;
(ग) **''नियत दिनांक''** का तात्पर्य अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक अर्थात 01 अप्रैल, 2010 से है;
(घ) **''अध्याय''**, **''धारा''** एवं **''अनुसूची''** का तात्पर्य क्रमशः अधिनियम के अध्याय, उसकी धारा एवं अनुसूची से है;
(ङ) **''प्रपत्र''** का तात्पर्य इस नियमावली के परिशिष्ट में दिये गये प्रपत्र से है;
(च) **''पास–पड़ोस''** का तात्पर्य नियम–4 में विनिर्दिष्ट आबादी क्षेत्र से है;
(छ) **''शिष्य संचयी अभिलेख''** का तात्पर्य व्यापक एवं सतत् मूल्यांकन पर आधारित बालकों की प्रगति के अभिलेख से है;
(ज) **''विद्यालय मानचित्रण''** का तात्पर्य सामाजिक विभेदों और भौगोलिक दूरी को दूर करने के लिए विद्यालय की अवस्थिति के नियोजन से है;
(झ) **''विनिर्दिष्ट प्रतिमान''** का तात्पर्य अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों और मानकों से है;
(ञ) **''जिला शिक्षा अधिकारी''** का तात्पर्य यथास्थिति बेसिक शिक्षा विभाग अथवा माध्यमिक शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी से है।
(2) इस नियमावली में प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ हैं, जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हैं।

IndiaCode

भाग–दो
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार

(3) विशेष प्रशिक्षण (धारा–4)– (1) विद्यालय प्रबन्ध समिति/स्थानीय प्राधिकारी अपनी अधिकारिता के भीतर 6 वर्ष से अधिक आयु के विद्यालय कभी न गये अथवा विद्यालय छोड़ देने वाले बालकों को चिह्नित करेगा, पड़ोसी विद्यालय में उन्हें आयु–संगत कक्षा में प्रवेश करायेगा, उनके सीखने के स्तर का मूल्यांकन करेगा और तद्नुसार यथापेक्षा उनके लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित रीति से करेगा, अर्थातः–

(क) विशेष प्रशिक्षण विशेष रूप से अभिकल्पित तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा अनुमोदित आयु–संगत अधिगम सामग्री पर आधारित होगा;

(ख) विशेष प्रशिक्षण विद्यालय परिसर में कक्षाएं संचालित करके या सुरक्षित आवासीय सुविधाओं में कक्षाएं संचालित करके प्रदान किया जायेगा;

(ग) विशेष प्रशिक्षण विद्यालय में कार्यरत् अध्यापकों द्वारा या उक्त प्रयोजनार्थ विशेष रूप से नियुक्त व्यक्तियों द्वारा प्रदान किया जायेगा;

(घ) विशेष प्रशिक्षण की अवधि न्यूनतम तीन माह की होगी, जिसमें सीखने की प्रगति (लर्निंग प्रोग्रेस) के आवधिक निर्धारण के आधार पर अधिकतम अनधिक दो वर्ष की अवधि तक वृद्धि की जा सकेगी।

(2) आयु–संगत कक्षा में प्रवेश पर विशेष प्रशिक्षण के पश्चात कक्षा के अन्य बालकों के साथ शैक्षणिक और भावात्मक रूप से सफलता पूर्वक जुड़ने योग्य बनाने के लिए बालकों का अध्यापकों द्वारा विशेष ध्यान रखा जायेगा।

IndiaCode

भाग–तीन
राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी के कर्त्तव्य

(4) पास–पड़ोस का क्षेत्र या सीमाएँ(धारा–4)– (1) पास पड़ोस का क्षेत्र या सीमा, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत समिति द्वारा विद्यालय की स्थापना की जानी है, निम्नवत् होगीः–

(क) कक्षा एक से पाँच तक के बच्चों के सम्बन्ध में ऐसी बस्ती में विद्यालय स्थापित किया जायेगा जिसके 1.00 किलोमीटर की दूरी के अन्तर्गत कोई विद्यालय नहीं है तथा न्यूनतम आबादी 300 है।

(ख) कक्षा छः से आठ तक के बच्चों के सम्बन्ध में ऐसी बस्ती में विद्यालय स्थापित किया जायेगा जिसके 3.00 किलोमीटर की दूरी के अन्तर्गत कोई विद्यालय नहीं है तथा न्यूनतम आबादी 800 है।

स्पष्टीकरणः–इस नियम के प्रयोजनार्थ पद ''राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत समिति'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की, यथास्थिति, धारा–10 या धारा–10 क के अन्तर्गत स्थापित समिति से है।

(2) ऐसे क्षेत्रों के बालकों के लिए जहाँ उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट पड़ोस की परिधि के अन्तर्गत विद्यालय की व्यवस्था करना संभव न हो वहाँ राज्य सरकार उपनियम(1) के अधीन विनिर्दिष्ट उपबन्धों में शिथिलता प्रदान करते हुए पर्याप्त व्यवस्था करेगी, यथा निःशुल्क यातायात, आवासीय सुविधा आदि।

(3) स्थानीय प्राधिकारी अर्थात् यथास्थिति ग्राम पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत किसी पड़ोसी विद्यालय को चिह्नित करेगा जहाँ बालकों को प्रवेश दिलाया जा सके तथा प्रत्येक बस्ती के लिए अपनी अधिकारिता के भीतर ऐसी सूचना को सार्वजनिक करेगा।

(4) ऐसी निःशक्तता से ग्रस्त बालकों के सम्बन्ध में, जो उन्हें विद्यालय जाने से रोकती हों, जिला शिक्षा अधिकारी के पूर्वानुमोदन से स्थानीय प्राधिकारी विद्यालय पहुँचने और प्रारंभिक शिक्षा पूरा करने हेतु उनके लिए समुचित और सुरक्षित परिवहन व्यवस्था करने का प्रयास करेगा।

(5) स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों के कारण बालकों को विद्यालय पहुँचने में कोई बाधा न आये।

(5) राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी के कर्त्तव्य (धारा–8 और 9)– (1) अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (एक) में सन्दर्भित राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी के किसी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाला बालक, अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसरण में अधिनियम की धारा धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (दो) में सन्दर्भित विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाला बालक और अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसरण में अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (तीन) और (चार) में सन्दर्भित किसी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाला बालक प्रत्येक वर्ष निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों और प्रत्येक वर्ष में एक बार वर्दी के लिए हकदार होगा;

परन्तु किसी निःशक्तता से ग्रस्त बालक को निःशुल्क विशेष शिक्षा, सहायक सामग्री एवं उपकरण भी निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे।

स्पष्टीकरणः– धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसरण में प्रवेश दिये गये बालक और धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसरण में प्रवेश दिये गये किसी बालक के सम्बन्ध में निःशुल्क शिक्षा का हक दिलाने की जिम्मेदारी, क्रमशः धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (दो) और धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (तीन) और (चार) में सन्दर्भित विद्यालय का होगा।

(2) पड़ोसी विद्यालयों के अवधारण और उनकी स्थापना के प्रयोजनार्थ स्थानीय प्राधिकारी (यथास्थिति ग्राम पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत) विद्यालय का मानचित्रण करेगा और दूरवर्ती क्षेत्रों के बालकों, निःशक्तता से ग्रस्त बालकों, साधनहीन वर्ग के बालकों, कमजोर वर्ग के बालकों तथा धारा 4 में सन्दर्भित बालकों सहित समस्त बालकों का चिह्नांकन दिनांक 31 मार्च तक प्रत्येक वर्ष करेगा।

(3) स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि विद्यालय में किसी बालक के साथ जाति, वर्ग, धर्म अथवा लिंग आधारित दुर्व्यवहार या भेदभाव न किया जाय।

(4) स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि कक्षा में, मध्याह्न भोजन के दौरान, खेल के मैदानों में, सामान्य पेयजल एवं प्रसाधन सुविधाओं के प्रयोग में एवं प्रसाधनों अथवा कक्षाओं की सफाई में कमजोर एवं साधनहीन वर्ग के बालकों के साथ कोई विभेदकारी अथवा अलगाववादी व्यवहार न किया जाय।

India Code

(6) स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बालकों के अभिलेखों का अनुरक्षण ((धारा–9(घ))–
(1) स्थानीय प्राधिकारी (यथास्थिति ग्राम पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत) अपनी अधिकारिता के समस्त बालकों का जन्म से 14 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक का अभिलेख सर्वेक्षण के माध्यम से अनुरक्षित रखेगा।
(2) जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक बालक का नामांकन, उपस्थिति, अधिगम सम्प्राप्ति एवं प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करना सुनिश्चित करने और उसका अनुश्रवण करने के लिए प्रत्येक बालक को एक अनन्य पहचान संख्या आवंटित की जायेगी।
(3) उपनियम (1) में सन्दर्भित अभिलेख को–
(क) प्रत्येक वर्ष अद्यतन किया जायेगा;
(ख) सार्वजनिक रूप में पारदर्शिता पूर्वक अनुरक्षित किया जायेगा और स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता के अन्तर्गत निवास करने वाले प्रत्येक बालक के प्रवेश, उपस्थिति एवं प्रारंभिक शिक्षा पूरा करने को सुनिश्चित करने एवं उसका अनुश्रवण करने के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।
(4) प्रत्येक बालक के सम्बन्ध में उपनियम (1) में सन्दर्भित अभिलेख को विहित प्रपत्र में अनुरक्षित रखा जायेगा, जिसमें निम्नलिखित विवरण सम्मिलित होगा :–
(क) नाम, लिंग, जन्मतिथि और जन्मस्थान;
(ख) माता–पिता/अभिभावक का नाम, पता और व्यवसाय;
(ग) पूर्व प्राथमिक विद्यालय/आंगनबाड़ी केन्द्र जहाँ (6 वर्ष की आयु तक) बालक रहा हो;
(घ) प्रारंभिक विद्यालय जहाँ बालक ने प्रवेश लिया हो;
(ङ) बालक का वर्तमान पता;
(च) कक्षा, जिसमें बालक पढ़ रहा हो;
(छ) यदि स्थानीय प्राधिकारी की क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत 6–14 वर्ष की आयु के किसी बालक की शिक्षा में व्यवधान होता है तो ऐसे व्यवधान का कारण;
(ज) क्या बालक अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ङ) के अर्थान्तर्गत कमजोर वर्ग का है;
(झ) क्या बालक अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (घ) के अर्थान्तर्गत साधनहीन वर्ग का है;
(ञ) प्रव्रजन और कम जनसंख्या,आयु–संगत प्रवेश और निःशक्तता के कारण विशेष सुविधाओं अथवा आवासीय सुविधाओं की अपेक्षा रखने वाले बालकों का विवरण।
(5) स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी अधिकारिता के अधीन के विद्यालयों में नामांकित समस्त बालकों के नाम प्रत्येक विद्यालय में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित हों।
(6) जिला शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि उपनियम (4) में सन्दर्भित सूचना जिले की वेबसाइट पर प्रदर्शित एवं अद्यतन रहे।

भाग–चार
विद्यालयों एवं अध्यापकों के उत्तरदायित्व

(7) कमजोर वर्ग एवं साधनहीन वर्ग के बालकों का प्रवेश((धारा–12(1)(ग))– (1) धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (तीन) और (चार) में सन्दर्भित विद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसरण में प्रवेश प्राप्त बालकों को कक्षा में अन्य बालकों से अलग नहीं किया जायेगा और न ही अन्य बालकों के लिए

संचालित कक्षाओं से अलग स्थान एवं समय पर उन बालकों की कक्षा संचालित की जायेगी।
(2) धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (तीन) और (चार) में सन्दर्भित विद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि धारा 12 (1) के खण्ड (ग) के अनुसरण में प्रवेश प्राप्त बालकों का हकों और सुविधाओं यथा पाठ्यपुस्तक, पुस्तकालय और सूचना संचार और प्रौद्यौगिकी सुविधाओं, पाठ्यचर्येत्तर क्रियाकलापों और खेलकूद के सम्बन्ध में किसी भी रूप में शेष बालकों से विभेद नहीं किया जायेगा।
(3) नियम 4 (1) में विनिर्दिष्ट पड़ोसी विद्यालय की सीमायें या क्षेत्र धारा 12 के खण्ड(ग) के अनुसरण में किये गये प्रवेशों के लिए उपयोजित होंगेः
परन्तु धारा 12 (1) के खण्ड (ग) में सन्दर्भित बालकों के लिए स्थानों के अपेक्षित प्रतिशत को पूरा करने के प्रयोजनार्थ विद्यालय राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से इन सीमाओं को बढ़ा सकता है।
(4) स्थानीय प्राधिकरण (यथास्थिति ग्राम पंचायत/नगर निगम/ नगर पालिका/नगर पंचायत) अपनी अधिकारिता के अधीन निजी एवं विनिर्दिष्ट श्रेणी के विद्यालयों में पढ़ने वाले कमजोर एवं साधनहीन वर्ग के समस्त बालकों की नामवार सूची एवं अभिलेख अनुरक्षित रखेगा।

(8) राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु बालकों का प्रवेश ((धारा–12(1) (ख) और (ग) एवं धारा–12(2))– (1) धारा 12 (1) के खण्ड (ख) और (ग) में सन्दर्भित बालकों के प्रवेश की प्रक्रिया निम्नलिखित रीति से पूर्णतः पारदर्शी होगी। प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले ऐसे बालकों का विवरण विद्यालय द्वारा नियमित रूप से अनुरक्षित किया जायेगा, जिसमें बालक का नाम, पता, लिंग, जाति, जन्मतिथि एवं पिता/माता/अभिभावक का नाम, पता, व्यवसाय एव मासिक आय, बालक के कमजोर वर्ग या साधनहीन वर्ग के होने का विवरण सम्मिलित होगा। इस सूचना को वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक किया जायेगा। कुल आवेदकों में से, समस्त बालकों, जिन्होंने प्रवेश हेतु आवेदन किया हो, किन्तु किसी कारणवश उनका प्रवेश न हुआ हो, को कारण सहित लिखित रूप में सूचित किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित प्रवेश प्रक्रिया का अनुसरण करना भी विद्यालय के लिए बाध्यकारी होगा।
(2) राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, स्वामित्वप्राप्त या नियंत्रित समस्त विद्यालयों के सम्बन्ध में प्रारम्भिक शिक्षा पर राज्य सरकार द्वारा स्वयं अपनी निधियों से एवं केन्द्र सरकार तथा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधियों से उपगत कुल वार्षिक आवर्ती व्यय ऐसे सभी विद्यालयों में 30 सितम्बर को नामांकित बालकों की कुल संख्या से विभाजित किये जाने पर राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक उपगत किया गया व्यय होगा।
स्पष्टीकरणः–प्रति–बालक व्यय को अवधारित करने के प्रयोजनार्थ धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (दो) में सन्दर्भित विद्यालयों और ऐसे विद्यालयों में नामांकित बालकों पर राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उपगत व्यय को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
(3) धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (चार) में सन्दर्भित प्रत्येक विद्यालय धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन प्रतिपूर्ति स्वरूप प्राप्त धनराशि के सम्बन्ध में पृथक बैंक खाता अनुरक्षित रखेगा।

(4) उपनियम (3) में निर्दिष्ट प्रतिपूर्ति की अपेक्षा करने वाला प्रत्येक विद्यालय अनन्य पहचान संख्या सहित बालकों की सूची और शिक्षा निदेशक, (बेसिक) द्वारा विहित प्रपत्र पर समस्त आवश्यक विवरण के साथ–साथ साक्ष्य सहित विद्यालय द्वारा उपगत मदवार व्यय का विवरण प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर तक उपलब्ध करायेगाः
परन्तु जहाँ ऐसे विद्यालय, निःशुल्क अथवा रियायती दर पर कोई भूमि/भवन/उपकरण अथवा अन्य सुविधाएं प्राप्त कर लेने के कारण विनिर्दिष्ट संख्या में बालकों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु पहले ही वचनबद्ध हों, वहाँ ऐसे विद्यालय ऐसी वचनबद्धता की सीमा तक प्रतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगे।
(5) जिला शिक्षा अधिकारी आवश्यक सत्यापन के पश्चात देय प्रतिपूर्ति धनराशि को उपनियम (3) में सन्दर्भित खाते में अंतरित करेगा तथा उक्त सूचना को वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक करेगा।
(6) यदि किसी भी स्तर पर विद्यालय द्वारा तथ्यों को छिपाकर अथवा मिथ्या दावे के आधार पर प्रतिपूर्ति की अपेक्षा करके उसे प्राप्त किया गया पाया जाता है तो उसे विद्यालय की मान्यता वापस लेने की कार्यवाही और भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं के अधीन कार्यवाही सहित इस प्रकार प्राप्त की गयी धनराशि की दुगनी धनराशि सरकारी राजकोष में जमा करनी होगी और यह धनराशि कलेक्टर द्वारा भूमि राजस्व की बकाया धनराशि के रूप मे वसूली जायेगी।

(9) आयु के प्रमाण हेतु दस्तावेज(धारा–14)– जब कभी जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1886 के अधीन कोई प्रमाणपत्र उपलब्ध न हो तो विद्यालयों में प्रवेश के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को बालक की आयु के प्रमाण के रूप में समझा जायेगाः
(क) अस्पताल या सहायक नर्स एवं मिडवाइफ पंजी अभिलेख;
(ख) आंगनबाड़ी का अभिलेख;
(ग) जन्म एवं मृत्यु सम्बन्धी ग्राम पंजी;
(घ) माता–पिता या अभिभावक द्वारा बालक की आयु की शपथ पत्र के माध्यम से घोषणा।

(10) विद्यालय में प्रवेश के लिए बढ़ायी गयी अवधि (धारा–15)– (1) प्रवेश की बढ़ायी गयी अवधि किसी विद्यालय का शैक्षणिक वर्ष प्रारम्भ होने के दिनांक से तीन माह अर्थात सत्र प्रारम्भ होने के पश्चात 30 सितम्बर तक होगी।
(2) जहाँ किसी बालक को किसी विद्यालय में बढ़ायी गयी अवधि के पश्चात प्रवेश दिया जाता है, वहाँ वह विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा यथा अवधारित विशेष प्रशिक्षण की सहायता से अपनी पढ़ाई पूरा करने के लिए पात्र होगा/होगी।

(11) विद्यालय की मान्यता (धारा–18)– (1) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, स्वामित्वप्राप्त अथवा नियंत्रित विद्यालयों से भिन्न उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व स्थापित प्रत्येक विद्यालय, प्रपत्र–एक में सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, जो प्राधिकृत अधिकारी होगा, के समक्ष अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों

IndiaCode

और मानकों तथा निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन के सम्बन्ध में स्वघोषणा करेगा, अर्थात् :–

(क) विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (अधिनियम संख्या 21, सन् 1860) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी संस्था द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित सार्वजनिक न्यास द्वारा संचालित है;

(ख) विद्यालय किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह या संगठन के लाभ या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ हेतु संचालित नहीं है;

(ग) संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप विद्यालय संचालित हैं;

(घ) विद्यालय भवन या ढ़ॉचागत संरचनायें या प्रांगण केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाये जाते हैं;

(ड.) विद्यालय राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध है;

(च) विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचनाएं उपलब्ध कराता है जो समय–समय पर जिला शिक्षा अधिकारी/शिक्षा निदेशक अथवा किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण के ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करता है जैसाकि विद्यालय की कार्यप्रणाली में मान्यता की शर्त की निरन्तर पूर्ति या विद्यालय के कार्य करने में कमियों के निराकरण को सुनिश्चित करने के लिए जारी किये जायें।

(2) जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रपत्र–एक पर प्राप्त प्रत्येक स्वघोषणा पत्र को, प्राप्ति के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक किया जायेगा।

(3) जिला शिक्षा अधिकारी ऐसे विद्यालयों का प्रपत्र–एक में स्वघोषणा पत्र की प्राप्ति के तीन माह के भीतर स्थलीय निरीक्षण संचालित करेगा जो उपनियम (1) में उल्लिखित प्रतिमानों, मानकों और शर्तों को पूरा करने का दावा करते हैं।

(4) उपनियम (3) में सन्दर्भित निरीक्षण करने के पश्चात् निरीक्षण आख्या, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सार्वजनिक की जायेगी तथा प्रतिमानों, मानकों एवं शर्तों के अनुरूप पाये गये विद्यालयों को निरीक्षण के दिनांक से 60 दिन के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रपत्र–दो पर मान्यता प्रदान की जायेगी।

(5) उपनियम (1) में उल्लिखित प्रतिमानों, मानकों और शर्तों के अनुरूप जो विद्यालय नहीं हैं उनकी सूची जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा तैयार की जायेगी और कमियों को उल्लिखित करते हुए अधिसूचना के माध्यम से सार्वजनिक की जायेगी तथा उसको वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा। ऐसे विद्यालय अगले दो वर्षों के भीतर किसी भी समय मान्यता की स्वीकृति के लिए जिला शिक्षा अधिकारी से स्थलीय निरीक्षण हेतु अनुरोध कर सकते हैं।

(6) ऐसे विद्यालय, जो अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से तीन वर्ष के पश्चात् भी उपनियम (1) में उल्लिखित प्रतिमानों, मानकों और शर्तों के अनुरूप न हों, कार्य करने से प्रविरत हो जायेंगे।

(7) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, स्वामित्वप्राप्त अथवा नियंत्रित विद्यालय से भिन्न प्रत्येक विद्यालय जिसकी स्थापना अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात की गई है, मान्यता के लिए अर्ह होने हेतु उपनियम (1) में उल्लिखित प्रतिमानों, मानकों और शर्तों के अनुरूप होगा।

IndiaCode

(8) प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की एक पंजी अनुरक्षित करेगा और ऐसे प्रत्येक विद्यालय को संख्या आवंटित करेगा।

(12) विद्यालय की मान्यता का प्रत्याहरण ((धारा–18)(3))– (1) जहाँ जिला शिक्षा अधिकारी के पास स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति से प्राप्त प्रत्यावेदन के आधार पर लिखित रूप से अभिलिखित किये जाने हेतु यह विश्वास करने का कारण हो कि नियम 11 के अधीन मान्यता प्रदत्त किसी विद्यालय ने मान्यता की शर्तों में से एक या उससे अधिक शर्तों का उल्लंघन किया है अथवा अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों एवं मानकों को पूर्ण करने में विफल हो गया है तो वह निम्नवत् कार्यवाही करेगाः–

(क) मान्यता स्वीकृति की शर्तों के उल्लंघन को विनिर्दिष्ट करते हुए विद्यालय को नोटिस जारी करेगा और उससे एक माह के अन्दर स्पष्टीकरण मांगेगा;

(ख) यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाया जाय या निर्धारित समयावधि में कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो जिला शिक्षा अधिकारी किसी ऐसे तीन सदस्यों की समिति द्वारा विद्यालय का निरीक्षण करायेगा, जिसमें सरकारी प्रतिनिधि और एक शिक्षाविद् होगा। समिति विद्यालय की सम्यक् जाँच कर, मान्यता जारी रखने या समाप्त करने की संस्तुति के साथ अपनी आख्या ऐसे निरीक्षण की तिथि से 20 दिन की अवधि के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगी। ऊपर सन्दर्भित समिति का गठन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा एवं जिला मजिस्ट्रेट को समिति के सदस्यों को परिवर्तित करने का अधिकार होगा।

(2) समिति की संस्तुतियों के आधार पर, जिला शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित विद्यालय से स्पष्टीकरण की अपेक्षा करते हुए 10 दिन के भीतर पत्र भेजकर विद्यालय को स्पष्टीकरण देने के लिए 30 दिन का समय देगा और प्राप्त स्पष्टीकरण का सम्यक परीक्षण करके अथवा स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की स्थिति में अभिलेखों/दस्तावेजों के आधार पर अपनी संस्तुति राज्य के शिक्षा विभाग को एक माह की अवधि के भीतर प्रेषित करेगाः

परन्तु यह कि जिला मजिस्ट्रेट का यह प्राधिकार होगा कि वह समिति की संस्तुति का राज्य शिक्षा विभाग को प्रस्तुत किये जाने के पूर्व पुनः परीक्षण करा लें।

(3) उपनियम (2) में सन्दर्भित संस्तुतियों के आधार पर राज्य का शिक्षा विभाग संस्तुतियां प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर विनिश्चिय करेगा और उक्त के सम्बन्ध में जिला शिक्षा अधिकारी को सूचित करेगा।

(4) राज्य के शिक्षा विभाग के विनिश्चय के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी, विद्यालय को प्रदान की गयी मान्यता रद्द करने का आदेश्यपरक आदेश विनिश्चय की प्राप्ति के दिनांक से 07 दिन के भीतर पारित करेगा। मान्यता रद्द किये जाने का आदेश तत्काल अनुवर्ती शैक्षणिक सत्र से प्रचालित होगा तथा उसमें ऐसे पड़ोसी विद्यालय भी विनिर्दिष्ट होंगे, जिनमें मान्यता रद्द किये गये विद्यालयों के बालकों का प्रवेश किया जायेगा।

(5) उपनियम (4) के अंतर्गत किया गया आदेश सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी को भी संसूचित किया जायेगा तथा उसे वेबसाइट पर प्रदर्शन के माध्यम से सार्वजनिक किया जायेगा।

भाग–पाँच
विद्यालय प्रबन्ध समिति

(13) विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन एवं कार्य(धारा–21)– (1) विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन उसकी अधिकारिता में गैर अनुदानित विद्यालयों के अतिरिक्त प्रत्येक विद्यालय में किया जायेगा एवं प्रत्येक दो वर्ष में इस समिति का पुनर्गठन किया जायेगा।

(2) विद्यालय प्रबन्ध समिति में 15 सदस्य होगें जिनमें से 11 सदस्य बालकों के माता–पिता अथवा संरक्षक होगें:

परन्तु समिति के 50 प्रतिशत सदस्य महिलायें होगी।

(3) विद्यालय प्रबन्ध समिति के अवशेष 04 सदस्यों मे निम्न व्यक्ति होगें अर्थातः–

(क) स्थानीय प्राधिकारी के निर्वाचित सदस्यों मे से एक सदस्य, का विनिश्चय स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा;

(ख) एक सदस्य सहायक नर्स एवं मिडवाईफ (ए0एन0एम0) में से, लिया जायेगा जिसका विनिश्चय विद्यालय के अध्यापकों द्वारा किया जायेगा;

(ग) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक लेखपाल;

(घ) एक सदस्य विद्यालय का प्रधान अध्यापक अथवा प्रधान अध्यापक की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम अध्यापक होगा, जो पदेन सदस्य–सचिव होगा।

(4) विद्यालय प्रबन्ध समिति के संरक्षक सदस्यों में एक–एक सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा कमजोर वर्ग के बालक के माता–पिता अथवा संरक्षक सम्मिलित होंगे।

(5) विद्यालय प्रबन्ध समिति के संरक्षक सदस्यों का चयन खुली बैठक में आम सहमति से किया जायेगाः

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि विद्यालय की प्रत्येक कक्षा के न्यूनतम एक बालक का माता–पिता/संरक्षक समिति में अवश्य सम्मिलित होगा।

(6) विद्यालय प्रबन्ध समिति अपने क्रियाकलापों के प्रबन्धन हेतु माता–पिता सदस्यों मे से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी।

(7) विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक माह में न्यूनतम एक बार अवश्य होगी और बैठकों का कार्यवृत्त तथा विनिश्चय उचित प्रकार से अभिलिखित किया जायेगा तथा सार्वजनिक किया जायेगा।

(8) विद्यालय प्रबन्ध समिति विद्यालय की कार्य प्रणाली का अनुश्रवण, विद्यालय विकास योजना का निर्माण एवं उसकी संस्तुति तथा राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी अथवा अन्य श्रोतों से प्राप्त अनुदान के सदुपयोग के अनुश्रवण के साथ ही निम्नलिखित कृत्यों का भी निष्पादन करेगी जिसके लिए वह अपने सदस्यों में से लघुतर कार्य–समूहों का गठन कर सकती है–

(क) सरल एवं रचनात्मक तरीके से अधिनियम में प्रतिपादित बालक के अधिकार एवं माता–पिता एवं संरक्षक, स्थानीय प्राधिकारी तथा राज्य सरकार के कर्त्तव्यों के विषय में विद्यालय के आसपास की आबादी को अवगत कराना;

IndiaCode

(ख) धारा 24 के खण्ड (क) एवं (ङ) तथा धारा 28 के समुचित कार्यान्वयन हेतु यह सुनिश्चित करना कि विद्यालय के अध्यापकगण विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता एवं समयनिष्ठा बनाये रखें, संरक्षकों एवं माता–पिता के साथ नियमित बैठकें करें और बालक की निरन्तर उपस्थिति, सीखने की क्षमता, सीखने में की गयी प्रगति और अन्य कोई प्रासंगिक सूचना के बारे में अवगत करायें और यह कि कोई अध्यापक निजी ट्यूशन या निजी अध्यापन में लिप्त नहीं है;

(ग) अधिनियम की धारा 27 के कार्यान्वयन हेतु यह अनुश्रवण करना कि अध्यापकों पर दसवार्षिकी आबादी जनगणना, आपदा राहत कर्त्तव्यों अथवा यथास्थिति स्थानीय प्राधिकारी या राज्य विधान मंडल अथवा संसद के निर्वाचन सम्बन्धी कर्त्तव्यों के अतिरिक्त अन्य किसी गैर शैक्षणिक कर्त्तव्यों का भार न डाला जाये;

(घ) विद्यालय में आस–पास के सभी बालकों का नामांकन एवं उनकी निरन्तर उपस्थिति सुनिश्चित करनाय

(ड.) अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों एवं मानकों के रखरखाव का अनुश्रवण करनाय

(च) बालक के अधिकारों के किसी भी अपसरण से, विशेष रूप से बालकों का मानसिक एवं भौतिक उत्पीड़न, प्रवेश देने से इंकार और धारा 3 (2) के अनुसार निःशुल्क हकदारियों के समयान्तर्गत उपबन्ध को स्थानीय प्राधिकारियों के संज्ञान में लानाय

(छ) जहाँ किसी बालक की आयु छः वर्ष से अधिक है और उसे किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया है, वहाँ उसके आयु–संगत अधिगम स्तर हेतु आवश्यकताओं का चिह्नांकन, योजना तैयार करना और विशेष प्रशिक्षण के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करनाय

(ज) निःशक्तताग्रस्त बालकों का चिह्नांकन एवं नामांकन तथा विद्यार्जन के लिए उनकी सुविधाओं और उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना एवं प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने का अनुश्रवण करना;

(झ) विद्यालय में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना एवं उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना;

(ञ) विद्यालय की अभिप्राप्तियों एवं व्यय का अनुश्रवण करना।

(9) विद्यालय प्रबन्ध समिति को अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन हेतु जो भी धनराशि प्राप्त हो उसे पृथक लेखा में रखा जायेगा एवं उक्त लेखा वार्षिक संपरीक्षा हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) उपनियम (9) में निर्दिष्ट लेखों पर विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सदस्य–सचिव द्वारा हस्ताक्षर किये जायेगें और उनके तैयार होने के एक माह के अन्दर सम्बन्धित प्राधिकारियों को उपलब्ध कराया जायेगा।

(14) विद्यालय विकास योजना की तैयारी (धारा–22)– (1) विद्यालय प्रबन्ध समिति वित्तीय वर्ष की समाप्ति से कम से कम तीन माह पूर्व विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी।

(2) विद्यालय विकास योजना तीन वर्षीय योजना होगी जिसकी उपयोजना के रूप में तीन वार्षिक योजनायें होगी।

(3) विद्यालय विकास योजना में निम्नलिखित विवरण अन्तर्विष्ट होगें अर्थातः–

(क) प्रत्येक वर्ष के लिए कक्षावार नामांकन का प्राक्कलन;

(ख) विनिर्दिष्ट प्रतिमानों के अनुसार तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए कक्षा एक से पाँच तक तथा कक्षा छः से आठ तक के लिए अलग–अलग अतिरिक्त अध्यापकों, प्रधान अध्यापकों सहित विषय अध्यापकों और अंशकालिक अनुदेशकों की संख्या की आवश्यकता;

(ग) विनिर्दिष्ट प्रतिमानों के अनुसार तीन वर्षों से अधिक अवधि के लिए अतिरिक्त अवसंरचना तथा उपस्करों आदि की भौतिक आवश्यकता;

(घ) बालकों के लिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की अतिरिक्त आवश्यकता सहित खण्ड (ख) एवं (ग) के सम्बन्ध में तीन वर्ष की अवधि के लिए वर्षवार अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता और आयु–संगत कक्षा में प्रविष्ट बालकों को विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु तथा अधिनियम के अधीन विद्यालय के उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए कोई अन्य वित्तीय आवश्यकता।

(4) विद्यालय विकास योजना विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष एवं सदस्य–सचिव द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी और सम्बन्धित प्राधिकारियों के पास उस वित्तीय वर्ष जिसमें उसे तैयार किया जाना हो, की समाप्ति से पूर्व प्रस्तुत कर दी जायेगी।

भाग–छः
अध्यापक

(15) अध्यापको की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता((धारा–23 (1))– केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारा 2 खण्ड (ढ़) में निर्दिष्ट प्रत्येक विद्यालय पर लागू होगी।

(16) न्यूनतम शैक्षिक अर्हता का शिथिलीकरण((धारा–23 (2))– (1) धारा 2 खण्ड (ढ़) में निर्दिष्ट राज्य के समस्त विद्यालयों हेतु अनुसूची के मानकों के अनुसार राज्य सरकार अध्यापक आवश्यकता का आगणन करेगी।

(2) यदि उपनियम (1) के अनुसार आगणित संख्या में न्यूनतम विहित अर्हताधारी अध्यापक उपलब्ध न हों, तो राज्य सरकार विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में शिथिलीकरण के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध करेगी।

(3) उपनियम (2) के अधीन किये गये अनुरोध पर न्यूनतम अर्हता में शिथिलीकरण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किये जाने के बाद राज्य सरकार यथा आवश्यक कार्यवाही करेगी।

(4) न्यूनतम अर्हताओं में शिथिलता, अधिनियम लागू होने से अधिकतम पाँच वर्ष के लिए अर्थात दिनांक 31 मार्च, 2015 तक ही होगी, इस अवधि में ही शिथिलीकरण की शर्तो के अधीन नियुक्त अध्यापकगण को नियम 15 के अधीन विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता अर्जित करनी होगी।

(5) उपरोक्त उपनियम (3) में निर्दिष्ट अधिसूचना के अभाव में नियम 15 में निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने वाले किसी व्यक्ति को किसी विद्यालय में अध्यापक नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।

IndiaCode

(17) न्यूनतम अर्हताओं का अर्जन ((धारा–23 (2)) का परन्तुक– (1) राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, स्वामित्वप्राप्त अथवा नियंत्रित विद्यालयों अथवा विशिष्टीकृत विद्यालयों के वे समस्त अध्यापक, जो अधिनियम लागू होने के समय नियम 15 के अधीन निर्धारित अर्हता नहीं रखते है, द्वारा अधिनियम के लागू होने के पाँच वर्ष की अवधि के अन्दर ऐसी निर्धारित अर्हता प्राप्त कर लेने के उददेश्य से राज्य सरकार केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित शैक्षणिक प्राधिकारी से अध्यापक शिक्षा की क्षमता–वृद्धि एवं दूरस्थ माध्यम से अध्यापक प्रशिक्षण की अपेक्षित सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध करेगी। राज्य सरकार अपेक्षानुसार उक्त सुविधाओं का अनुमोदन प्राप्त होने पर ऐसे समस्त अध्यापकों को प्रशिक्षण उपलब्ध करायेगी।

(2) सहायता प्राप्त अथवा गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों का प्रबन्धतंत्र ऐसे अध्यापकों, जो अधिनियम के प्रवृत्त होने के समय नियम 15 के अधीन निर्धारित न्यूनतम अर्हतायें नहीं रखते है, को अधिनियम के प्रारम्भ होने के पाँच वर्ष की अवधि के अन्तर्गत ऐसी न्यूनतम अर्हताओं के योग्य बनायेगा।

(18) अध्यापकों के वेतन एवं भत्ते तथा सेवा की शर्तें ((धारा–23 (3))– प्रत्येक प्रकार के विद्यालय के अध्यापकों के वेतन, भत्ते एवं सेवा शर्तें ऐसी सेवा नियमावली से शासित होंगी, जैसा कि उस विद्यालय के अध्यापकों के लिए लागू होती हैं।

(19) अध्यापकों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कर्त्तव्य ((धारा–24(1)(च))–

(1)कोई अध्यापक :–

(क) विद्यालय में नियमित और समय से उपस्थिति, नियमित शिक्षण, विद्यार्थियों के लेखन कार्य का नियमित शुद्धिकरण तथा विनिर्दिष्ट समय के भीतर सम्पूर्ण पाठ्यक्रम पूर्ण करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी और विद्यालय प्रबन्ध समिति के प्रति उत्तरदायी होगा;

(ख) प्रत्येक बालक की विद्यालय में नियमित उपस्थिति, सीखने की क्षमता तथा प्रगति का अनुश्रवण करेगा, नियमित रूप से बालकों के कार्यनिष्पादन पर माता–पिता के साथ चर्चा करेगा;

(ग) जब अपेक्षा की जाय, तब विद्यालय प्रबन्ध समिति के क्रियाकलापों के प्रबन्धन में सहयोग करेगा;

(घ) स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता में समस्त बालकों के विद्यालय में प्रवेश के लिए स्थानीय प्राधिकारी की यथा अपेक्षित सहायता करेगा;

(ङ) बालकों के ज्ञान की समझ और ज्ञान के अनुप्रयोग में उसकी योग्यता की जाँच तथा सतत् मूल्यांकन हेतु प्रत्येक बालक के शिष्य संचयी अभिलेखयुक्त फाईल अनुरक्षित रखेगा तथा जिसके आधार पर पूर्णता का प्रमाणपत्र प्रदान करेगा।

(2) उपनियम (1) में वर्णित कर्त्तव्यों और धारा 24 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ङ) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के अतिरिक्त, अध्यापक/अध्यापिका सौपे गये निम्नलिखित कर्तव्यों का निष्पादन करेगा/करेगी :–

(क) प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहभाग करना;

IndiaCode

(ख) पाठयचर्या की संरचना और पाठयक्रम का विकास, प्रशिक्षण माड्यूल तथा पाठ्यपुस्तकों के विकास में प्रतिभाग करना।

(ग) विद्यालय के आन्तरिक एवं वाह्य मूल्यांकनों की पहल में सहयोग करना।

(3) अध्यापकों का नियुक्ति प्राधिकारी अधिनियम की धारा 24 (1) में उल्लिखित कर्तव्यों और उपरिलिखित नियम 19 (1) एवं (2) में यथानिर्धारित दायित्व को सेवा शर्तों के रूप में अध्यापकों की सेवा नियमों में सम्मिलित करेगा। अध्यापकों के लिए पुरस्कारों और दण्डों के साथ–साथ वृत्ति विकास का विनिश्चय करने में सेवा नियमावली में, नियम 22 (3क) एवं (3ख) के अधीन, विद्यालय के आन्तरिक एवं बाह्य मूल्यांकनों के परिणामों पर भी विचार किये जाने की व्यवस्था होगी।

(20) अध्यापकों के शिकायत निवारण का तौर–तरीका ((धारा–24(3))– अध्यापकों की शिकायत निवारण की प्रथम व्यवस्था धारा 21 के अधीन गठित विद्यालय प्रबन्ध समिति के स्तर पर होगी और उसके बाद स्थानीय प्राधिकारी के स्तर पर होगी।

(21) प्रत्येक विद्यालय में शिष्य–अध्यापक अनुपात बनाये रखना (धारा–25)– (1) जिला मजिस्ट्रेट अपने–अपने जनपद के प्रत्येक विद्यालय की स्वीकृत अध्यापक संख्या अधिसूचित करेगा। ऐसी अधिसूचना जनपद की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी तथा विद्यालय की स्वीकृत अध्यापक संख्या सम्बन्धित विद्यालय को एवं स्थानीय प्राधिकारी को भी सूचित की जायेगीः

परन्तु ऐसी अधिसूचना के दो माह के अन्दर जिला मजिस्ट्रेट उन विद्यालयों के अध्यापकों को पुनर्योजित करेगा, जहाँ उपनियम (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना जारी होने के पूर्व अध्यापकों की संख्या स्वीकृत संख्या से अधिक हो।

(2) जिला मजिस्ट्रेट प्रत्येक वर्ष के जुलाई माह के पूर्व स्वीकृत विनिर्दिष्ट शिष्य–अध्यापक अनुपात को बनाये रखने हेतु विद्यालय की स्वीकृत अध्यापक संख्या का पुनरीक्षण करेगा तथा आवश्यकतानुसार अध्यापकों को पुनर्योजित करेगा।

(3) शिष्य–अध्यापक अनुपात को बनाये रखने के उद्देश्य से किसी विद्यालय में पदस्थित कोई अध्यापक किसी अन्य विद्यालय अथवा कार्यालय अथवा किसी गैर शैक्षणिक उददेश्य, जो दसकीय आबादी जनगणना, आपदा राहत कर्त्तव्य अथवा संसद, राज्य विधान मंडल या स्थानीय निकाय सम्बन्धी निर्वाचन कर्त्तव्यों से इतर हो, में सेवा हेतु नहीं लगाया जायेगा।

(4) यदि कोई अध्यापक निजी अध्यापन अथवा प्राइवेट टयूशन में लिप्त पाया गया तो उस पर लागू सेवा नियमावली के अधीन उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

भाग–सात
पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण किया जाना

(22) शैक्षणिक प्राधिकारी (धारा–29)– (1) धारा 29 के प्रयोजनार्थ, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या एवं मूल्यांकन प्रक्रिया का निर्धारण करेगी।

IndiaCode

(2) राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया को निर्धारित करते समय निम्नलिखित कृत्यों का भी निष्पादन करेगी :–

(क) सुसंगत एवं आयु–संगत पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक और अन्य सीखने की सामग्री का प्रतिपादन;

(ख) सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण की रूपरेखा का विकास; और

(ग) सतत् और व्यापक मूल्याकंन को व्यवहार में लाने हेतु दिशा–निर्देशों का तैयार किया जाना।

(3) राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, आन्तरिक एवं बाह्य संगठनों के माध्यम से नियमित आधार पर समग्र रूप से विद्यालयीय गुणवत्ता निर्धारण की प्रक्रिया अभिकल्पित एवं क्रियान्वित करेगी।

(क) विद्यालयों के कार्य निष्पादन का स्वतन्त्र निर्धारण वर्ष में कम से कम एक बार विभागीय निर्धारण के माध्यम से और प्रत्येक दो वर्ष में अनिवार्य रूप से बाह्य अभिकरण द्वारा संचालित निर्धारण के माध्यम से किया जाएगा। वार्षिक स्वतन्त्र निर्धारण के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् उपयुक्त प्रश्न–बैंक निर्मित करेगा, जिसके आधार पर जनपदीय जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान यादृच्छिक नमूना (रैण्डम) आधार पर प्रत्येक विकास खण्ड का आकलन करेगा। प्रत्येक वर्ष के दिसम्बर माह के अन्तिम सप्ताह तक जिलावार विकास खण्डवार प्रतिवेदन जिला मजिस्ट्रेट और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।

(ख) इस प्रयोजन हेतु बाह्य अभिकरण के रूप में, अन्य बातों के साथ–साथ विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षा विभाग के संकाय, विभिन्न शोध संस्थानों, ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के संगठनों/बेसिक शिक्षा से सम्बद्ध गैर सरकारी संगठनों में से लिए जा सकेंगे। विस्तृत निर्देश–निबन्धन निर्धारित किये जायें और निर्धारण कार्य सौंपें जाने के छः माह के भीतर बाह्य अभिकरण द्वारा परिणाम प्रस्तुत किए जायें। प्रतिवेदन, राज्य स्तरीय विद्यालय एवं विद्या निर्धारण प्रतिवेदन के रूप में प्रकाशित किया जायेगा।

द्विवर्षीय बाह्य निर्धारण के लिए, अन्य बातों के साथ–साथ, मानदण्ड निम्नवत् होगें:

- छात्रों की विद्या प्राप्ति स्तर;
- कक्षा अध्यापन में पाठ्य पुस्तकों, अध्यापक संदर्शिका एवं अध्यापन विद्यार्जन सामग्री की उपलब्धता और उपयोग;
- छात्रों के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक कार्य का अवसर;
- लेखन कार्य का अध्यापकों द्वारा नियमित शुद्धिकरण;
- अध्यापकों की विद्यालय में उपस्थिति की समयबद्वता एवं अध्यापन विद्यार्जन सम्पन्न कराने में नियमितता;
- नियमित आधार पर छात्रों के कार्य सम्पादन पर माता–पिता के साथ चर्चा;
- अध्यापकों की अध्यापन एवं कक्षा संचालन क्षमता का सम्प्रेक्षण;
- वार्षिक पाठ्यचर्या का प्रतिशत आच्छादन।

IndiaCode

रिपोर्ट के माध्यम से अन्य बातों के साथ–साथ विद्यालय निर्धारण के परिणाम जिलावार अवरोही क्रम में राज्य सरकार, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एवं सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम को, अनुवर्ती सुसंगत कार्यवाही हेतु, प्रस्तुत किए जायेंगें और निर्धारण के विकास खण्डवार परिणाम, जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपचारात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किये जायेंगें।

(23) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने का प्रमाणपत्र प्रदान करना (धारा–30)– (1) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने का प्रमाणपत्र विद्यालय स्तर से प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के एक माह के अन्दर शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा विहित प्रपत्र पर निर्गत किया जायेगाः

परन्तु निजी संस्थाओं द्वारा निर्गत किये जाने वाले प्रमाणपत्र पर आवंटित मान्यता पंजीकरण संख्या भी स्पष्ट रूप से उनके द्वारा उल्लिखित की जायेगी।

(2) उपनियम (1) में सन्दर्भित प्रमाणपत्र द्वारा यह प्रमाणित किया जायेगा कि बालक ने धारा 29 के अधीन विहित अध्ययन पाठयक्रम पूर्ण कर लिया है।

(3) प्रमाणपत्र में बालक का शिष्य संचयी अभिलेख शामिल होगा, साथ ही विहित पाठयक्रम अध्ययन के अतिरिक्त बालक के अन्य क्षेत्रों के क्रिया कलापों में उपलब्धियाँ यथा संगीत, नृत्य, साहित्य, क्रीड़ा आदि भी विनिर्दिष्ट होंगी।

भाग–आठ
बाल अधिकार का संरक्षण

(24) राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कृत्यों का निर्वहन(धारा–31)– (1) ऐसे समय तक जब तक राज्य सरकार बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राज्य आयोग का गठन करती है, तब तक अन्तरिम प्राधिकारी के रूप में शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (आर0ई0पी0ए0) का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(2) शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (आर0ई0पी0ए0) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात;–

(क) एक अध्यक्ष जो उच्च शैक्षणिक ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो अथवा किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो अथवा जिसने बाल अधिकारों के उन्नयन हेतु उत्कृष्ट कार्य किया हो; और

(ख) निम्नलिखित क्षेत्रों में विख्यात, योग्य, सत्यनिष्ठ एवं प्रतिष्ठित तथा अनुभवी व्यक्तियों में से दो सदस्य, जिनमें एक महिला होगी–
 (एक) शिक्षा;
 (दो) बाल स्वास्थ्य देखभाल और बाल विकास;
 (तीन) किशोर न्याय अथवा उपेक्षित या साधनहीन अथवा निःशक्तताग्रस्त बालकों की देखभाल;
 (चार) बालश्रम उन्मूलन अथवा विपन्न बच्चों के साथ कार्य;
 (पाँच) बाल मनोविज्ञान अथवा समाज शास्त्र; या
 (छः) शैक्षणिक अथवा प्रशासनिक प्रबन्धन।

(3) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम 2006 के निबन्धन और शर्ते उसी रूप में शिक्षा अधिकार सरंक्षण प्राधिकरण (आर0ई0पी0ए0) पर भी लागू होंगे।

(4) राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन के तत्काल बाद शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (आर0ई0पी0ए0) के सभी अभिलेख और परिसम्पत्तियाँ उक्त आयोग को स्थानान्तरित कर दी जायेगी।
(5) राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अथवा यथास्थिति शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (आर0ई0पी0ए0) अपने कृत्यों के निष्पादन में राज्य सलाहकार परिषद् द्वारा उसे सन्दर्भित प्रकरणों पर भी कार्यवाही कर सकते हैं।
(6) राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अथवा यथा स्थिति शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (आर0ईपी0ए0) में राज्य सरकार एक प्रकोष्ठ का गठन करेगी, जो आयोग अथवा शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (आर0ई0पी0ए0) को अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निष्पादन में सहायता कर सकेगा।

(25) राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष शिकायतें प्रस्तुत करने की रीति

(धारा–31)– (1) राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अथवा यथास्थिति शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (आर0ई0पी0ए0) द्वारा पत्र/दूरभाष/एस0एम0एस0 के माध्यम युक्त सर्वसुलभ बाल हेल्प लाईन स्थापित की जायेगी तथा जो इस अधिनियम के अधीन अधिकारों के उल्लंघन के सम्बन्ध में पीड़ित बालक अथवा संरक्षक की शिकायत दर्ज करने के लिए मंच के रूप इस रीति से कार्य करेगी कि उसकी पहचान अभिलिखित की जायेगी, किन्तु उसे प्रकट नहीं किया जायेगा।
(2) प्रारम्भिक रूप से कोई शिकायत ग्राम शिक्षा समिति/वार्ड शिक्षा समिति को उसके सदस्य सचिव के माध्यम से की जायेगी। ग्राम शिक्षा समिति/वार्ड शिक्षा समिति के विनिश्चय के पश्चात् अपील, यथास्थिति विकास खण्ड स्तरीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी को की जा सकती है। द्वितीय अपील उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की धारा–10 के अधीन ग्रामीण क्षेत्र से सम्बन्धित मामलों के लिए जिला पंचायत को और धारा 10–क के अधीन नगरीय क्षेत्र से सम्बन्धित मामलों के लिए नगरपालिका को की जा सकती है।

समस्त शिकायतों का अनुश्रवण, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा ऑनलाइन क्रियाविधि के आधार पर पारदर्शी और तत्परतापूर्ण कार्यवाही के माध्यम से किया जायेगा।

(26) राज्य सलाहकार परिषद् का गठन एवं कृत्य (धारा–34)– (1) राज्य सलाहकार परिषद् (जिसे इस नियमावली में आगे परिषद् कहा जायेगा) में एक अध्यक्ष एवं 14 सदस्य सम्मिलित होगें;
(2) राज्य सरकार में बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री, परिषद् के पदेन अध्यक्ष होगें;
(3) प्रारंभिक शिक्षा एवं बाल विकास का ज्ञान एवं अनुभव रखने वाले व्यक्तियों मे से राज्य सरकार द्वारा परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति निम्नवत् की जायेगी :–
(क) कम से कम चार सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी एवं अल्प संख्यक वर्ग में से एक–एक होगें;
(ख) कम से कम एक सदस्य विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों की शिक्षा का विशिष्ट ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से होगा;

(ग) एक सदस्य पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से होगा;

(घ) एक सदस्य अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से होगा;

(ङ) एक सदस्य विशेष रूप से प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले किसी ख्यातिप्राप्त, गैर सरकारी संगठन में से होगा;

(च) सचिव, बेसिक शिक्षा, परिषद् का सदस्य संयोजक होगा एवं शिक्षा निदेशक (बेसिक), शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण तथा राज्य परियोजना, निदेशक, उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्, परिषद् के पदेन सदस्य होंगे:

परन्तु पदेन सदस्यों से भिन्न पचास प्रतिशत सदस्य महिलाओं मे से होगें।

(4) परिषद् यथा अपेक्षित अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों को विशेष रूप में आमंत्रित कर सकेगा।

(5) बेसिक शिक्षा विभाग, परिषद् की बैठकों एवं इसके अन्य कृत्यों के लिए युक्ति.युक्त सहयोग उपलब्ध करायेगा।

(6) राज्य सलाहकार परिषद् अधिनियम के उपबन्धों के प्रभावशाली अनुपालन के लिए राज्य सरकार को सलाह देगी।

IndiaCode

परिशिष्ट

प्रपत्र–1

(नियम–11 का उपनियम (1) देखें)

विद्यालय को मान्यता देने के लिए आवेदन सहित स्वघोषणा
उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली, 2011

IndiaCode

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,
(जिला का नाम एवं राज्य)

महोदय,

मैं निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट मानदंडों और मानकों के अनुपालन के सम्बन्ध में एक स्वघोषणा करता हूँ और (विद्यालय का नाम और पता)हेतु शैक्षिक सत्र..... के प्रारम्भ से मान्यता की स्वीकृति के लिए विहित प्रपत्र में एक आवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

संलग्नक :
स्थान :
दिनांक :

भवदीय,

प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष/प्रबन्धक

(क) विद्यालय का विवरण

1.	विद्यालय का नाम	
2.	शैक्षणिक सत्र	
3.	जिला	
4.	डाक पता	
5.	ग्राम/श्शहर	
6.	ब्लाक एवं तहसील	
7.	पिन कोड	
8.	एस0टी0डी0 कोड के साथ फोन नम्बर	
9.	फैक्स नम्बर	
10.	ई–मेल पता, यदि कोई है	
11.	निकटतम पुलिस स्टेशन	

IndiaCode

(ख) सामान्य जानकारी

1.	स्थापना का वर्ष	
2.	विद्यालय के प्रथम खुलने का दिनांक	
3.	न्यास/समिति/प्रबन्ध समिति का नाम	
4.	क्या न्यास/समिति/प्रबन्ध समिति पंजीकृत है ?	
5.	न्यास/समिति/प्रबन्ध समिति के पंजीकरण की वैधता की अवधि (साक्ष्यों के प्रमाण के लिए सुसंगत दस्तावेजों को संलग्न किया जाये)	
6.	प्रतियुक्त हलफनामें पर पते सहित सदस्यों की सूची के साथ न्यास/समिति/प्रबन्ध समिति का गैर सांपत्तिक चरित्र का प्रमाण।	
7.	विद्यालय के अध्यक्ष/प्रधान/प्रबन्धक का नाम, कार्यालय पता	
	नाम	
	पदनाम	
	पता	
	फोन	**कार्यालय**..... **आवास**.....

				मोबाईल नं0.....
8	पिछले 3 वर्षों के दौरान कुल आय एवं व्यय अधिशेष/घाटा (लेखों को चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा लेखा संपरीक्षित तथा प्रमाणित किया जाना चाहिये और समुचित लेखा–विवरण संलग्न किये जायें)			
	वर्ष	**आय**	**व्यय**	**अधिशेष/घाटा**

(ग) विद्यालय की प्रकृति और क्षेत्र

1.	शिक्षा का माध्यम	
2.	विद्यालय का प्रकार (प्रवेश और निकास कक्षायें विनिर्दिष्ट कीजिए) **(क)** लड़के/लड़कियॉ/सह–शिक्षा **(ख)** सहायता प्राप्त/गैर सहायता प्राप्त **(ग)** प्राथमिक/उच्च प्राथमिक	
3.	यदि सहायता प्राप्त है, तो अभिकरण का नाम और सहायता की प्रतिशतता।	
4.	क्या विद्यालय मान्यता प्राप्त है ?	
5.	यदि हाँ है तो किस प्राधिकारी द्वारा ? मान्यता संख्या.....	
6.	क्या विद्यालय के पास उसका अपना भवन है या क्या वह किराये के भवन में चल रहा है ? (साक्ष्यों के प्रमाण के लिए सुसंगत दस्तावेजों को संलग्न किया जाये)	
7.	क्या विद्यालय भवनों या अन्य निर्मित संरचनाओं या मैदान का प्रयोग केवल शिक्षा एवं प्रवीणता सम्बन्धित विकास के प्रयोजनार्थ किया जाता है ?	
8.	विद्यालय का कुल क्षेत्रफल	
9.	विद्यालय का निर्मित क्षेत्र (भवन योजना के साथ)	

IndiaCode

(घ) नामांकन का स्तर

	कक्षा	**अनुभागों की संख्या**	**विद्यार्थियों की संख्या**
1.	पूर्व प्राथमिक		
2.	एक से पाँच		
3.	छः से आठ		

(ङ) आधार भूत संरचनाओं का विवरण एवं स्वच्छता सम्बन्धी दशायें

	कक्ष	**संख्याएं**	**औसत आकार**

1.	कक्ष		
2.	कार्यालय कक्ष–सह–भंडारण कक्ष–सह–प्रधानाध्यापक कक्ष		
3	रसोई–सह–भंडारण		

(च) अन्य सुविधाएं

1.	क्या समस्त सुविधाओं तक बाधारहित पहुँच है ?	
2.	शिक्षण–अधिगम सामग्री (सूची संलग्न करें)	
3.	क्रीड़ा और खेल उपस्कर (सूची संलग्न करें)	
4.	पुस्तकालय में पुस्तकों की सुविधा	
	पुस्तकें (पुस्तकों की संख्या) (सूची संलग्न करें)	
	सामायिक / समाचारपत्र	
5.	पेयजल की सुविधा के प्रकार एवं संख्या	
6.	स्वच्छता सम्बन्धी दशायें **(एक)** मूत्रालयों और डब्ल्यू0सी0 के प्रकार बालकों के लिए अलग से शौचालयों / मूत्रालयों की संख्या बालिकाओं के लिए अलग से शौचालयों / मूत्रालयों की संख्या	

(छ) शिक्षण कर्मियों का विवरण

1. अनन्य रूप से प्राथमिक / उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण। (प्रत्येक अध्यापक का पृथक से विवरण)		
अध्यापक का नाम (1)	पिता का नाम (2)	जन्मतिथि (3)
शैक्षणिक अर्हता (विषय के साथ) (4)	व्यावसायिक अर्हता (5)	शिक्षण अनुभव (6)
समुनिदेशित कक्षा (7)	नियुक्ति का दिनांक (8)	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित (9)

2. प्रारंभिक और माध्यमिक दोनों स्तर पर शिक्षणरत्। (प्रत्येक अध्यापक का पृथक से विवरण)		
अध्यापक का नाम (1)	पिता का नाम (2)	जन्मतिथि (3)
शैक्षणिक अर्हता (विषय के साथ) (4)	व्यावसायिक अर्हता (5)	शिक्षण अनुभव (6)
समुनिदेशित कक्षा (7)	नियुक्ति का दिनांक (8)	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित (9)
3. प्रधान अध्यापक		
अध्यापक का नाम (1)	पिता का नाम (2)	जन्मतिथि (3)
शैक्षणिक अर्हता (विषय के साथ) (4)	व्यावसायिक अर्हता (5)	शिक्षण अनुभव (6)
समुनिदेशित कक्षा (7)	नियुक्ति का दिनांक (8)	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित (9)

IndiaCode

(ज) पाठयक्रम और पाठ्य विवरण

1.	प्रत्येक कक्षा में अपनाये गये पाठ्यक्रम और पाठ्य विवरण का विवरण (कक्षा 8 तक)	
2.	छात्र–मूल्यांकन की प्रणाली	
3.	क्या विद्यालय के विद्यार्थियों से कक्षा 8 तक कोई बोर्ड परीक्षा देने की अपेक्षा की जाती है ?	

(झ) प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय ने इस आवेदन के साथ जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के आंकड़ा प्रग्रहण प्रारूप में सूचना भी प्रस्तुत की है।

(ञ) प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण; हेतु उपलब्ध है;

(ट) प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय–समय पर यथा अपेक्षित रिपोर्ट और सूचना प्रदान करने हेतु वचनवद्ध है और वह जिला शिक्षा अधिकारी के ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करेगा जो मान्यता की शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये या विद्यालय की कार्यप्रणाली में कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें;

(ठ) प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिनियम के कार्यान्वयन से सम्बन्धित विद्यालय के अभिलेख जिला शिक्षा अधिकारी अथवा शिक्षा निदेशक या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किसी भी समय निरीक्षण किये जाने के लिए उपलब्ध रहेंगे और विद्यालय ऐसी समस्त सूचनाओं को प्रस्तुत करेगा जो राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण अथवा प्रशासन यथास्थिति संसद/राज्य की विधान सभा/पंचायत/नगर निगम के प्रति उनके दायित्वों को पूरा करने के लिए निमित्त आवश्यक हों।

ह0

स्थानः

अध्यक्ष/प्रबन्धक
प्रबन्ध समिति
.....विद्यालय

प्रपत्र–2
(नियम–।। का उपनियम (4) देखें)

ग्रामः **फोनः**
ई–मेल : **फैक्सः**

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
(जिला/राज्य का नाम)

संख्याः **दिनांकः**
प्रबन्धक,

विशय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन हेतु उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम–।। के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाणपत्र।

प्रिय महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक.....और इस सम्बन्ध में विद्यालय से पश्चावर्ती पत्राचार/निरीक्षण के सन्दर्भ में मैं.....(पता सहित विद्यालय का नाम) को कक्षा.....से.....कक्षा.....तक हेतु दिनांक.....से दिनांक

.....तक तीन वर्षों की अवधि के लिए औपबंधिक मान्यता का प्रदान किया जाना सम्प्रेषित करता हूँ :–

1. मान्यता के लिए स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और यह किसी भी रूप में कक्षा 8 के बाद मान्यता/सम्बद्धता प्रदान करने के दायित्व को विवक्षित नहीं करता है।

2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (संलग्नक–एक) और उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 (संलग्नक–दो) के उपबन्धों का पालन करेगा।

3. विद्यालय कक्षा एक में, कक्षा की सदस्य संख्या के % तक पास–पड़ोस के कमजोर वर्ग और साधनहीन समूह के बालकों को प्रवेश देगा और इनकी शिक्षा पूर्ण होने तक निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करायेगा; परन्तु अग्रेतर यह कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इस सन्नियम का पालन किया जायेगा।

4. प्रस्तर तीन में सन्दर्भित बालकों के लिए विद्यालय यदि अधिनियम की धारा 12 (2) के अधीन आच्छादित हो तो विद्यालय को तदनुसार प्रतिपूर्ति दी जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्तियों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता उपलब्ध करायेगा।

5. समिति/विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति शुल्क संग्रह नहीं करेगा और बालक अथवा उसके माता–पिता या अभिभावक को किसी जांच प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।

6. विद्यालय प्रवेश से वंचित नहीं करेगा –

(क) बालक का आयु–प्रमाण न होने पर;

(ख) धर्म, जाति अथवा नस्ल, जन्म स्थान अथवा उनमें से किसी आधार पर।

7 विद्यालय निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करेगाः

(एक) किसी विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक प्रवेश दिये गये किसी बालक को किसी कक्षा में नहीं रोका रखा जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा;

(दो) किसी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न का भागी नहीं बनाया जायेगा;

(तीन) किसी भी बालक से प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी बोर्ड की परीक्षा उर्त्तीण करना अपेक्षित नहीं है;

(चार) प्रत्येक बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने पर नियम 23 के अन्तर्गत निर्धारण के अनुसार एक प्रमाणपत्र वितरित किया जायेगा;

(पाँच) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तताग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों का अन्तर्वेशन;

(छः) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता हैं; और

(सात) अध्यापक निजी अध्यापन क्रिया–कलापों के निमित्त स्वयं को नहीं लगायेगा।

8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय छात्रों का नामांकन विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में करेगा जैसा कि अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

10. विद्यालय परिसर के भीतर या विद्यालय के बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलाई जायेंगी।

11. विद्यालय, सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम–1860 (अधिनियम संख्या–21 सन, 1860) के अधीन पंजीकृत समिति या तद्समय प्रवरित किसी विधि के अधीन गठित किसी सार्वजनिक न्यास द्वारा संचालित किया जाता है।

IndiaCode

12. विद्यालय, किसी व्यक्ति समूह, या व्यष्टि संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों की प्रसुविधा के लिए संचालित नहीं किया जाता है।

13. लेखाओं की संपरीक्षा और प्रमाणन किसी चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा किया जाना चाहिए और नियमानुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति, प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता सम्बन्धित कोड संख्या.....है। कृपया इसको ध्यान रखा जाये और इस कार्यालय से किसी प्रकार के पत्रव्यवहार के लिए इस संख्यांक को उद्धृत करने का कष्ट करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्टें और सूचना प्रस्तुत करेगा, जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित की जायें और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों की निरन्तर पूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु या विद्यालय की कार्यप्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।

16. समिति के पंजीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।

17. विद्यालय प्रबन्धन/न्यास और कर्मचारी वर्ग समय–समय पर जारी किए गये राज्य सरकार के निर्देशों का अनुपालन करेगा।

18. संलग्न अनुलग्नक तीन के अनुसार अन्य शर्तें।

भवदीय,
जिला शिक्षा अधिकारी

IndiaCode